

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

 H.
 1535]

 No.
 1535]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2013/आषाढ़ 12, 1935 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2013/ASHADHA 12, 1935

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2013

का.आ. 1989(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनयम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1363 (अ), दिनांक 18 जून, 2012 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के 520.00 कि. मी. से 627.000 कि. मी. (मुजफ्फरपुर-बरौनी सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स के.एन.आर. मुजफ्फरपुर-बरौनी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय के.एन.आर. हाउस, चौथा तल, प्लॉट संख्या 114, फेज न0. 1, कवुरी हिल्स, हैदराबाद-500033 में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) जो 19 सितम्बर, 2011 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु सफल बोलीदाता हैं, के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के 519.600 कि.मी. से 627.163 कि.मी तक मुजफ्फरपुर-बरौनी सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) को डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर दो लेन में विकसित करने हेतु करार किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित तथा दिनांक सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ) दिनांक 12, जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों

का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पुँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 107.560 कि.मी हेत्, दो लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात "आधार दर" संदर्भित किया गया है) सारणी 1 में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत!किया जायेगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की दिनांक को और उस दिनांक से अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से जो भी बाद में हो, समापन की दिनांक तक जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेत् प्राधिकृत करती है:

सारणी -1

सारणा -1			
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के		
	लिए प्रति कि.मी. शुल्क		
*	की आधार दर (रूपए में)		
(1)	(2)		
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65		
हल्के वाणिज्यिक वाहर्ने, हल्के माल	1.05		
वाहक वाहन अथवा मिनी बस			
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20		
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40		
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या	3.45		
अर्थ मूर्विंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या			
बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से			
छह धुरी वाले)			
बड़े आकार वाले वाहन (सात या	4.20		
अधिक धुरी वाले)			

टिप्पणियाँ नियम 4 (3) के अनुसार, दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड के उपयोग के लिए शुल्क उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट शुल्क के आधार दर का 60 प्रतिशत होगी।

2. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 535.100 (मुजफ्फरपुर जिले में महन्त मनीयारी गांव के पास)	57.000
कि.मी./चैनेज 602.200 (बेगुसराय में गोविन्दपुर गांव के पास)	50.560

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों

पर जारी किया जायेगा, अर्थातुः

पर जारा विचा जावता, जनात्.				
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की	विधिमान्यता की अवधि		
	अधिकतम संख्या			
}	दो	संदाय के समय से		
एकतरफा यात्रा के	(વા	1 '' ''		
लिए शुल्क का डेढ़		चौबीस घंटे		
1				
गुना				
पचास या अधिक	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से		
एकल यात्राओं के		एक मास		
लिए संदेय शुल्क		1		
की राशि का दो				
· ·	,]		
- तिहाई				

- 5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

- 7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9. सारणीं 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले संशोधन की दिनांक से छः महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जायेगा।

[फा. सं. भराराप्रा/13013/698/सीओ/12-13/जीसी-मुजफ्फरपुर (519.600-627.163)] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2013

S.O. 1989(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1363 (E), dated 18th June, 2012, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometre 520.000 to kilometre 627.000 (Muzaffarpur – Baraum section) of National Highway No. 28 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s KNR Muzaffarpur — Barauni Tollway Pvt. Ltd. having its registered office KNR House, 4th Floor, Plot No 114, Phase No 1, Kavuri Hills, Hyderabad-500033 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 19th September, 2011 for the development of Muzaffarpur—Barauni section from kilometer 519.600 to kilometer 627.163 on National Highway No. 28 (hereinafter referred to as the "said section") to Two Laning on design, build, finance, operate and transfer (DBFOT) basis of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 107.560 km for use of the Two lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles.	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes: As per Rule 4(3), the rate of fee for use of a section of NH having 2-lanes shall be 60% of base rate of fee indicated in above table.

1. The fee levied and collected hereunder, shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 535.100 (near Mahanth maniyari village in Muzaffarpur district)	57.000
Km/Ch. 602.200 (near Govindpur Village in Begusaria)	50.560

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the

2929 GI/13-2

provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
- The fee rates shall be displayed for information of the users in 8. accordance with rules 12 of the said Rules.
- Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as 9. mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months from the date of the preceding revision of fee and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/698/CO/12-13/GC-Muzaffarpur(519.600-627.163)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.